प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
दांडिक (अपीली) अधिकारिता

दांडिक अपील संख्या 1466 / 2023
(विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) कं 11377 / 2022 से उद्भूत)

संजय दुबे

..... **अपीलार्थी**

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

.....**प्रत्यर्थीगण**

प्रत्यर्थी 1: मध्य प्रदेश राज्य

प्रत्यर्थी 2: पीड़ित ए द्वारा पुलिस थाना स्लीमनाबाद

निर्णय

न्यायमूर्ति, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

पक्षकारों के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता / अधिवक्ता को सुना।

2. अनुमति दी गई।

3. वर्तमान अपील एमसीआरसी संख्या 43998/2022 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर (जिसे इसमें इसके बाद उच्च न्यायालय कहा गया है) के एक विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित किये गए 21.09.2022 के निर्णय और आदेश (जिसे इसमें इसके बाद आक्षेपित निर्णय कहा गया है) के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें हालांकि प्रथमदृष्टया, अपीलकर्ता के खिलाफ कर्तव्य की अवहेलना का दोषी होने का निष्कर्ष दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित निर्णय में यह पाया गया कि अपीलकर्ता पुलिस विभाग में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने के लिए उपयुक्त नहीं है और किसी भी जिम्मेदार पद के लिए अयोग्य है। यह भी लिखा गया है कि कटनी के पुलिस अधीक्षक ने पहले ही अपीलकर्ता को लाइन–अटैच कर दिया था और दीर्घ शास्ति लगाने

के लिए जांच शुरू कर रहे थे, जिसके लिए वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रारंभिक जांच करवायेंगे और दीर्घ शास्ति लगाने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी

4. आक्षेपित निर्णय, अपीलार्थी के विरुद्ध कर्तव्य की उपेक्षा, अवज्ञा और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अनुचित व्यवधान पैदा करने के लिए उचित कार्रवाई किये जाने हेतु एक 'निर्देश' भी जारी करता है ।

तथ्यात्मक विवरण

5. अपीलार्थी स्लीमानाबाद पुलिस स्टेशन, कटनी में निरीक्षक था, जहां अभियुक्त शिव कुमार कुशवाहा (जिसे इसमें इसके बाद 'अभियुक्त' के रूप में संदर्भित किया गया है) के खिलाफ , भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 और 506 (जिसे इसमें इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित किया गया है), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 और 4 (इसके बाद इसे 'पॉक्सो अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (डब्ल्यू) (पप) और 3 (2) (ट) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67 ए के तहत दिनांक 18. 07.2021 की प्राथमिकी संख्या 424 दर्ज किया गया। दिनांक 25.10.2021 को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (जिसे इसके बाद एफएसएल रिपोर्ट के रूप में संदर्भित किया गया है) पुलिस अधीक्षक, कटनी के कार्यालय को अग्रेषित की गई थी। एफएसएल रिपोर्ट अपीलार्थी को इस नोट के साथ अग्रेषित की गयी थी कि डीएनए परिक्षण दिशा–निर्देशों के अनुसार डीएनए जांच की जाए। यद्यपि, डीएनए परिक्षण नहीं किया गया । इसी बीच अभियुक्त ने आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए एमसीआरसी संख्या 43998/2022 दाखिल की।

6. कार्यवाही के दौरान, उच्च न्यायालय ने केस–डायरी बुलवाई , लेकिन इसके साथ एफएसएल रिपोर्ट नहीं भेजी गयी । इसके कारण उच्च न्यायालय ने कटनी के पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जबलपुर के प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा। दिनांक 21.09.2022 को उपरोक्त दोनों उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और सूचित किया कि एफएसएल रिपोर्ट 25.10.2021 को कटनी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेज दी गई थी। कटनी के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट, 27–10–2021 के पत्राचार के साथ, अपीलकर्ता को इस नोट के साथ अग्रेषित की गयी थी कि डीएनए परिक्षण दिशा–निर्देशों के अनुसार डीएनए जांच की जाए। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया कि संबंधित महिला उप–निरीक्षक द्वारा एफएसएल रिपोर्ट उसके ज्ञान में नहीं लाई गयी थी ।

7. राज्य की और से विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि केस–डायरी 13.09.2022 को विद्वान महाधिवक्ता के कार्यालय में प्राप्त हुई थी,

लेकिन एफएसएल रिपोर्ट इसके साथ नहीं थी। इसने उच्च न्यायालय को आक्षेपित निर्णय, जिसके बारे में ऊपर चर्चा की गयी, पारित करने के लिए प्रेरित किया।

अपीलार्थी के तर्क

8. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन 2022 की एमसीआरसी संख्या 43998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है), जो केवल अभिरक्षा में किसी आरोपी को जमानत की मंजूरी से संबंधित है, प्रस्तुत की थी। इस प्रकार, कार्रवाई करने और विभागीय जांच कराने के निर्देश के साथ–साथ अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलिखित निष्कर्ष बनाये नहीं रखा जा सकता । अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के **संगीताबेन शैलेशभाई दातांता बनाम गुजरात राज्य, (2019) 14 एससीसी 522 और राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक बनाम एम. मुरुगेसन, (2020) 15 एससीसी 251** के निर्णयों पर को संदर्भित भरोसा जताया है। यह दावा किया गया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमानत के लिए किसी आवेदन पर निर्णय करते समय उद्देश्य कितना वास्तविक है, न्यायालय किसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है।

प्रत्यर्थी – राज्य के तर्क

9. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण मामले में अवज्ञा, अक्षमता और कर्तव्य की उपेक्षा का दर्शित की थी और इस प्रकार, किसी भी तरह से, वह कार्यवाही के लिए उत्तरदायी था। यह प्रस्तुत किया गया था कि संबंधित विभागीय समिति ने एक जांच भी की थी जहां अपीलकर्ता और कुछ अन्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छिपाने के अलावा केस–डायरी के साथ एफएसएल रिपोर्ट प्रदान करने में अपने कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षापूर्ण पाया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि दिनांक 23.11.2022 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पर अंतरिम स्थगन के कारण मामले को उसके तार्किक रूप से विनिश्चित नहीं किया जा सका

विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष:

10. मामले पर विवेकपूर्ण विचार के बाद, हालांकि अपीलकर्ता के पास एक बिंदु हो सकता है कि, कठोर अर्थो में , संहिता की धारा 439 के तहत एक याचिका में, संबंधित न्यायालय को विशिष्ट मुद्दे यथा हिरासत में किसी अभियुक्त को जमानत देना है या जमानत को अस्वीकार करना, से परे विचार नहीं करना चाहिए। न्यायालय यह नहीं भूल सकता कि संबंधित न्यायालय श्सत्र न्यायालयश नहीं था, बल्कि भारत के संविधान (इसके बाद ष्संविधानष् के रूप में वर्णित) के अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित मध्य प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय था।

11. यह एकमात्र तथ्य, यहाँ बाद में विस्तृत कारणों से, हमें आक्षेपित निर्णय में, किन्तु भिन्न कारणों से, हस्तक्षेप करने इंकार करता है , हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं

है कि यदि आक्षेपित निर्णय सत्र न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया होता, तो वे कारक जो हमारे द्वारा विचार किये जाते, वे पूरी तरह से भिन्न होते।

12. थोड़ा विषयांतर आवश्यक है। उच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय है, जिसके पास शक्तियों का विस्तृत भंडार है। उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत मूल अपीलीय और स्वतरू संज्ञान की शक्तियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत शक्तियां उन स्थितियों लिए तात्पर्यित हैं जहां उच्च न्यायालय को लगता है कि न्याय के हित में कुछ निर्देशोंध् आदेशों की आवश्यकता है। हाल ही में, बी एस हरि कमांडेंट बनाम भारत संघ, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 413 के मामले में, वर्तमान पीठ के पास निम्नानुसार अवधारित करने का अवसर थारू

> "50. संविधान का अनुच्छेद 226 अन्याय को दूर करने में सहायक है और ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई भी प्रतिबन्ध केवल स्व–अधिरोपित होता है। अन्य के साथ, ए वी वेंकटेश्वरन बनाम रामचंद शोभराज वाधवानी, (1962) 1 एससीआर 573 और यू.पी. स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम कमल स्वरूप टंडन, (2008) 2 एससीसी 41 का लाभकारी संदर्भ लिया जा सकता है। उच्च न्यायालयों को , संवैधानिक योजना के तहत, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेषाधिकार रिट जारी करने में सक्षमता हैं। नवाब शाकफत अली खान (उपरोक्त) के आदेश की कसौटी पर निर्णीत यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा घिसे पिटे तरीके से जांच करने के लिए एक उपयुक्त मामला था, विषेशकर तब, जब इसमें विस्फोटक तथ्यात्मक स्थिति से गुजरना शामिल नहीं था।
>
> (जोर दिया गया)

13. वर्तमान मामले पर लौटते हुए, यद्यपि सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय को अभियुक्त द्वारा संहिता की धारा 439 के तहत की गई जमानत की प्रार्थना को, कार्रवाई के उचित रूप में, स्वीकृतध्अस्वीकृत करने तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए थाय हालांकि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट होने के कारण कि उसकी राय में पुलिस/जांच तंत्र की ओर से गंभीर चूक थी, जिसके न्याय वितरण प्रणाली पर घातक परिणाम हो सकते हैं, अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था।

14. हमारी राय में, विद्वान एकलपीठ, विचार हेतु कारणों और बिंदुओं को निर्मित करने के बाद, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अलग कार्यवाही संस्थित करने का निर्देश दे सकती थी। तत्पश्चात, इस मामले को उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश को ऐसी उपयुक्त पीठ के समक्ष रखे जाने के लिए भेजा जाना चाहिए था, जो निश्चित रूप से, उन

व्यक्तिओं को, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई, पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात विधि अनुसार कार्यवाही करता।

15. उच्च न्यायालय की न्याय की निष्फलता को रोकने की न्यायोचित सोच के संबंध में अलगध्नई कार्यवाही, जैसा ऊपर दर्शाया गया है, संस्थित की जा सकती थी । हम यही पर यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमारे अवलोकनों का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालयों द्वारा जमानत के स्तर पर अन्वेषण की गुणवत्ता/प्रभावकारिता पर गहनता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, और वर्तमान निर्णय को सभी मामलों में अन्वेषण एजेंसियोंध्अधिकारी पर थोपे जाने के लिए गलत नहीं समझा जाना चाहिए।

16. यह न्यायालय अपीलार्थी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के लिए 'निर्देश' में हस्तक्षेप कर सकता था, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसा **संगीताबेन शैलेशभाई दतांता** (उपरोक्त) और एम **मुरुगेसन** (उपरोक्त) के मामले में किया गया था। हालांकि, यह ध्यान देना उचित होगा कि उपरोक्त दो मामलों में तथ्यात्मक स्थिति काफी अलग थी। **संगीताबेन शैलेशभाई दतांता** (उपरोक्त) में, न्यायलय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि नाबालिग से बलात्कार के मामले में, आरोपी, अपीलार्थी, जो पीड़िता की दादी थी, के साथ–साथ पीड़िता के माता–पिता को वैज्ञानिक परीक्षणों जैसे झूठ का पता लगाना, ब्रेन–मैपिंग और नार्को–विश्लेषण आदि से गुजरने का उच्च न्यायालय का आदेश, न केवल आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रथम सिद्धांतों के उल्लंघन में था, बल्कि वैधानिक अपेक्षाओं के भी उल्लंघन में था और इस प्रकार, अभियुक्त को दी गई जमानत रद्द कर दी गई थी। मौजूदा मामले के तथ्य काफी अलग हैं, और इसलिए, **संगीताबेन शैलेशभाई दतंता** (उपरोक्त) अपीलार्थी का सहायक नहीं है।

17. **एम मुरुगेसन** (उपरोक्त) में, यह निर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र लंबित मुकदमे को जमानत देने या देने से इनकार करने तक सीमित है और इस तरह का अधिकार क्षेत्र तब समाप्त हो जाता है जब जमानत आवेदन पर अंतिम रूप से निर्णीत लिया जाता है। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने जमानत आवेदन पर फैसला लेने के बाद, फाइल (प्रकरण) को रोके रखा और राज्य को निर्देश दिया कि वह एक समिति का गठन करे और दोषियों/आरोपी व्यक्तियों के सुधार, पुनर्वास और पुन: एकीकरण और अन्वेषण की गुणवत्ता में सुधार करने के सर्वोत्तम प्रथाओं के तरीकों पर उसकी अनुशंसा मांगे और राज्य से जिलावार आँकड़े प्राप्त करें और अंतिम आँकड़े प्रस्तुत करने पर, उसकी समीक्षा करने के बाद, ऐसे आँकड़े को जमानत आवेदन पर निर्णय के बाद आदेश का भाग बनाये रखना अधिकारातीत था। वर्तमान मामले में, आक्षेपित निर्णय फैसले के पारित होने की तारीख पर, जमानत आवेदन अभी भी विचाराधीन था, और अभी तक किसी भी तरह से फैसला नहीं किया गया था।

18. **संगीताबेन शैलेशभाई दतांता** (उपरोक्त) और **एम मुरुगेसन** (उपरोक्त) में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित धारणाओं में कोई वक्रोक्ति नहीं है। फिर भी, जैसा कि पूर्वोक्त पैराग्राफों में हमारी चर्चा दर्शित करती है, यह मौजूदा तथ्यात्मक विवरण पर लागू नहीं होते हैं। यह सुस्थापित है कि निर्णयों को यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिएय उन्हें विधियों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, औरय विशिष्ट मामले केवल उसी के लिए प्राधिकार रखते हैं जो वे वास्तव में उनमे निर्णीत किया जाता है । हम प्रासंगिक पैराग्राफों को पुनरू प्रस्तुत कर शब्द बाहुल्यता नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बिंदु पर कुछ प्राधिकरणों को इंगित करना उचित समझते हैं – **श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1983) 4 एससीसी 353 और मेसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश बनाम राज्य पंजाब, (1985) 1 एससीसी 345** – जिसे अन्य बातों के साथ–साथ **बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी एनएचपीसी लिमिटेड, (2020) 4 एससीसी 234, और चिन्टेल्स इंडिया लिमिटेड बनाम भयाना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2021) 4 एससीसी 602,** में दोहराया गया है।

19. प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन के अंतिम निस्तारण से पहले आक्षेपित निर्णय पारित किया गया था। आक्षेपित निर्णय की सूक्ष्मता से जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि पुलिस अधीक्षक, कटनी ने, 21.09.2022 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर, कहा था कि उन्होंने 20.09.2022 के एक आदेश के तहत अपीलार्थी को पहले ही लाइन अटैच कर दिया था, और इस मामले में दीर्घ शास्ति दिए जाने के लिए जाँच प्रारंभ कर रहे थे। उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी गयी थी कि पुलिस अधीक्षक, कटनी ष्अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रारंभिक जांच करवाएंगे और दीर्घ शास्ति के लिए जांच प्रारंभ करने के लिए टी.आई. के अनुशासनात्मक प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे।"

20. पूर्वोक्त, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के केवल अंत के भाग में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया था:

> "डीएनए रिपोर्ट अब संबंधित अधिकारी द्वारा तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाए, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक, कटनी, संबंधित टीआई श्री संजय दुबे के विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही, अवज्ञा और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अनुचित व्यवधान पैदा करने के लिए उचित कार्रवाई करने से इतर, व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे कि नमूना संबंधित डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला में समय पर भेजा जाए और रिपोर्ट प्राप्त की जाए।" (जोर दिया गया)

21. पूर्वोक्त उद्धृत अंशों को संयुक्त रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस अधीक्षक, कटनी, जो अपीलार्थी से वरिष्ठ अधिकारी थे, ने स्वयं कहा था कि वह अपीलार्थी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और दीर्घ शास्ति आरोपित करने के लिए जांच प्रारम्भ कर रहे हैं, जो की एक स्वतरू संज्ञान का कृत्य था और न्यायालय के किसी भी निर्देश पर या उससे प्रेरित नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय के पास अपीलार्थी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए आगे अवलोकन करने का कोई अवसर नहीं था, जैसा कि पहले से ही, पुलिस अधीक्षक, कटनी ने अपीलार्थी के विरुद्ध दीर्घ शास्ति आरोपित करने के लिए जांच प्रारम्भ करने का निर्णय लिया था।

22. जैसा भी हो, मामले के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकट करते हैं कि इस तरह के एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में अपीलकर्ता सहित संबंधित पुलिस अधिकारी (अधिकारियों) की ओर से कम से कम प्रथम दृष्टया, सत्यता के समर्थन में सभी प्रासंगिक सामग्रियों को अभिलेख पर लाने के लिए उचित जांच करने में, संवेदनहीनता थी। इसी पृष्ठभूमि के बीच, अभियुक्तों को मिलने वाले अनुचित लाभ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और वास्तव में यह बढ़ा है। विवेचना के कारकों के महत्व पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता है, और इस तरह के पहलू पर इस न्यायालय के विचारों को सिद्धार्थ वशिष्ठ बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2010) 6 एससीसी 1 और मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य , (2023) 2 एससीसी 353 में सामने आया ।

23. इस संबंध में, थोड़ा भिन्न, किन्तु सम्बंधित संदर्भ वाले गुजरात राज्य बनाम किशनभाई, (2014) 5 SCC 108 के मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित राय दी और निर्देश दिया:

> "22. हर दोषमुक्ति को न्याय वितरण प्रणाली की न्याय हेतुक के क्रियान्वयन की विफलता के रूप में समझा जाना चाहिए । इसी तरह, हर दोषमुक्ति से साधरणतया यह निष्कर्ष निकला जाना चाहिए कि एक निर्दोष व्यक्ति गलत तरीके से अभियोजित किया गया था। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य को एक प्रक्रियात्मक युक्ति स्थापित करना चाहिए जो न्याय हेतुक का क्रियान्वयन होना सुनिश्चित करे और जो साथ ही निर्दोष लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।" उपरोक्त उद्देश्य के पूर्ति हेतु, दोषमुक्ति के सभी आदेशों की जांच करने और प्रत्येक अभियोजन मामले की विफलता के कारणों को अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक राज्य के गृह विभाग को निर्देशित करना आवश्यक दिखता है। पुलिस और अभियोजन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्थायी समिति को उपरोक्त जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। उपरोक्त समिति के विमर्श को जांच, औरध्या अभियोजन, या दोनों के दौरान की गई गलतियों को स्पष्ट करने

के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार का गृह विभाग कनिष्ठ जांचध्अभियोजन अधिकारियों के लिए अपने मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपरोक्त विमर्श से तैयार पाठ्यक्रम–सामग्री को शामिल करेगा । इसी के द्वारा वरिष्ठ जांचध् अभियोजन अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम की पाठ्यक्रम–सामग्री भी तैयार की जानी चाहिए। अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की उपरोक्त जिम्मेदारी उपरोक्त संदर्भित वरिष्ठ अधिकारियों की ही समिति में निहित होनी चाहिए। मौजूदा निर्णय (जिसमे मामले के अन्वेषण अभियोजन में 10 से अधिक स्पष्ट चूक दर्शित होती है), और इसी तरह के अन्य निर्णयों को भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोड़ा जा सकता है। स्थायी समिति द्वारा असफल अभियोजन वाले प्रकरणों में विषय वस्तु की समीक्षा, नई प्रविष्टियों, अन्वेषण के उभरते वैज्ञानिक साधनों , न्यायालयों के निर्णयों सहित और मामलों के असफल अभियोजन में विफलताओं की जांच करते समय मिले अनुभवों के आधार पर, वार्षिक रूप से की जाएगी। हम यह भी निर्देश देते हैं कि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को 6 महीने के भीतर लागू किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे व्यक्ति जो जांचध्अभियोजन से संबंधित संवेदनशील मामलों को देखते हैं, वे ऐसे मामलों के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। इसके बाद, यदि उनके द्वारा कोई चूक की जाती है, विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने पर तो वे अपनी चूक के लिए निर्दोषता का ढोंग नहीं कर पाएंगे।"

(जोर दिया गया)

24. उपरोक्त को सम्मानपूर्वक दोहराते हुए, उससे समरूपता बनाते हुए, चूँकि अन्वेषण में चूक गंभीर हैं, और इसके अतिरिक्त, किन्तु महत्वपूर्ण रूप से, यह तथ्य कि प्राधिकारी अर्थात पुलिस अधीक्षक, कटनी ने स्वयं महसूस किया कि अन्वेषण में चूक हुई थी, और अपीलकर्ता (और अन्य) के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने का विनिश्चय किया, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का प्रभावी भाग, केवल पुनरावृत्तिक, संभवतरू अधिक स्पस्ट शब्दों में जो इसके समक्ष पूर्व में कहा जा चुका था, है। इस प्रकार, केवल मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्णय इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का अनुमन्य नहीं करता है। खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं ।

25. संक्षेप में, पूरे ऐतिहात पर, और पूर्ववर्ती पैराग्राफों में चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील इस चेतावनी के साथ निरस्त किये जाने योग्य है और निरस्त किया जाता है कि उच्च न्यायालय की अवलोकनों को अपीलार्थी के विरुद्ध निष्कर्ष के रूप में नहीं लिया जाये ।

26. वर्तमान मामले में दिनांक 23.11.2022 का अंतरिम आदेश प्रभावहीन किया जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में अपीलकर्ता के संबंध में किए गए किसी भी अवलोकन का विभागीय कार्यवाही में, जो विधि अनुरूप और अपीलकर्ता को पूर्ण एवं प्रभावी अवसर प्रदान करते हुए की जाएगी, कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

27. अपीलार्थी विभागीय कार्यवाही में तथ्यों और कानून के सभी आधारों और तर्कों, जो भी उसके पास उपलब्ध हो, को उठाने का हकदार होगा। हमारे उपरोक्त कथित अवलोकन, समान रूप में, न तो अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे और न ही उनका उपयोग अभियुक्त के विरुद्ध किया जाएगा ।

.....न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

.....न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

नई दिल्ली,

11 मई 2023

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।